



2026:AHC:128308

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20758 सन 2026

सौरभ सिंह

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपरीत पक्ष(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : विकास त्रिपाठी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, पंकज कुमार गोविल

न्यायालय संख्या 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
2. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 50 सन 2026 अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- जारचा, जिला- गौतम बुद्ध नगर में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि 26.3.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। कथित घटना 11.2.2026 की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी देरी की वजह बताए 26.3.2026 को दर्ज की गई। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में रमेश कुमार समेत दस लोगों के नाम थे, लेकिन आवेदक का नाम उसमें नहीं था; उसका नाम सह-आरोपी प्रदीप राणा के कबूलनामे में सामने आया। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी रमेश कुमार की अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 5337 सन 2026 को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने 5.6.2026 के आदेश से मंजूर कर लिया है। आवेदक का मामला सह-आरोपी रमेश कुमार के मामले से बेहतर है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक के आपराधिक इतिहास के बारे में जमानत आवेदन के पैरा संख्या 29 और 30 में विस्तार से बताया गया है और वह 6.5.2026 से जेल में है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की आवेदन का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि इसी तरह के मुकदमे में शामिल सह-अभियुक्त, रमेश कुमार को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने जमानत दे दी है।

5. मैंने दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मुकदमे के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मुकदमे में शामिल सह-अभियुक्त, रमेश कुमार को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने जमानत दी है और उस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न तो रद्द किया है और न ही उस पर रोक लगाई है, और आवेदक 6.5.2026 से जेल में है, इसलिए मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत की आवेदन मंजूर की जाती है।

8. आवेदक - सौरभ सिंह, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मुकदमे में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। यदि वह बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को इन तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद पेश होना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज होने पर, अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक का गैर-हाज़िर रहना जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का विचारण न्यायाधीश की उस स्वतंत्र राय पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो वे गवाहों के बयानों के आधार पर बनाएंगे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

कुमार मनीष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"